



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 22 अप्रैल, 2021 / 02 वैशाख, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 19th April, 2021

No. LLR-E(9)-9/2018-Leg.—Whereas, Shri Shirish Bassi, Advocate s/o Late Sh. Surjit Prashad Bassi, r/o Ward No. 2, House No. 24, Near Arya Samaj Temple, Nagrota Bagwan, District

Kangra, H.P. has applied for appointment of Notary Public in Sub-Division Nagrota Bagwan of District Kangra under rule 4 of the Notaries Rules, 1956.

Therefore, I, the undersigned in exercise of the power conferred *vide* Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 1st July, 2017, hereby issue notice under rule 6 of the Notaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of seven days from the date of publication of this notice in e-Rajpatra, H.P. against his appointment as a Notary Public in Sub-Division Nagrota Bagwan of District Kangra.

Sd/-

(Competent Authority),
DLR-cum-Deputy Secretary (Law-English).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla the 12th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-382/2017.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *expost facto* sanction of 3½ days commuted leave *w.e.f.* 15-2-2021 (A.N.) to 18-2-2021 in favour of Ms. Pushp Lata, Civil Judge-cum-JMIC (III), Mandi, H.P.

Certified that Ms. Pushp Lata has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Pushp Lata would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (III), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2021

No. HHC/GAZ/14-262/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days earned leave *w.e.f.* 15-3-2021 to 24-3-2021 with permission to prefix 14-03-2021 being Sunday in favour of Sh. Abhay Mandiyal, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P.

Certified that Sh. Abhay Mandiyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Abhay Mandiyal would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2021

No. HHC/Admn. 6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave period of Ms. Jyotsna Sumant Dadhwal, Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P. *w.e.f.* 18-3-2021 to 1-4-2021 with permission to suffix Gazetted holiday falling on 2-4-2021 or until she joins her duty.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla the 8th March, 2021

No. HHC/Admn.6(23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during earned leave period of Sh. Abhay Mandiyal, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Chamba, H.P. *w.e.f.* 15-3-2021 to 24-3-2021 with permission to prefix Sunday falling on 14-3-2021 or until he joins his duty.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 12th March, 2021*

No. HHC/Admn.16(13)74-X.—The Hon'ble Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Hitesh Kumar Kaundal (HIM/306/2014), Advocate, as Oath Commissioners at District Courts, Chakkar, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 9th March, 2021*

No. HHC/Admn.2(127)/2017.—Shri Agya Ram Sharma, Chief Administrative Officer (Superintendent Grade-I) of the office of District and Sessions Judge, Kullu, shall stand retired from service with effect from 31-03-2021 (afternoon) on his attaining the age of superannuation, as per the provisions of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order,
Sd/-
Registrar General.

वन विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 17 अप्रैल, 2021

संख्या: एफ0एफ0ई0-बी0-एफ0(14)-2 / 2021.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उप-धारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जाँच कर ली गई है और उन्हें अभिलिखित कर लिया गया है;

और उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि या बंजर भूमि, सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि या बंजर भूमि को लागू होंगे और जो इसके पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अधीन "संरक्षित वन" कहलाएगी।

अनुसूची

परिक्षेत्र: थरोच वन मण्डल: चौपाल तहसील/उप-तहसील : नेरवा जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
1.	1/2001	टिक्कर	मधाना	106/1, 151/1, 184/1, 195/1, 197, 213/1, 302/1, 309/1, 318/1, 321/1, 512/1 किता. .11	38-38-43	उत्तर - महाल मधाना दक्षिण - महाल मधाना पूर्व - डी0 पी0 एफ0 थनाल पश्चिम- महाल मधाना
2.	3/2002	शड़ाच	शड़ाच	72/1, 140/1, 140/1/1, 242/1, 290/1, 292/1, 298/1, 368/1, 411/1, 419/1, 441/1, 443/1, 444/1, 445/1/1, 450, 460/1, 461 किता. .17	138-71-16	उत्तर - जंगल शड़ाच दक्षिण - उप-महाल भरमाण, महाल कुताह, जंगल नागर पूर्व - जंगल गुतर पश्चिम- सीमा महाल कुताह
3.	7/2001	मुण्डली	मुण्डली	849/1, 850/1, 851/1, 852/1 किता. .4	11-65-20	उत्तर - डी0पी0एफ0 शिला द्वितीय दक्षिण - शून्य पूर्व - नावी पश्चिम- महाल टिपरोग

परिक्षेत्र: सरांह वन मण्डल: चौपाल तहसील : चौपाल जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
4.	1/2010	बदलावग- प्रथम	चिवना बदलावग	1, 2, 3/2, 135/1, 563 किता. . 5	28-18-19	उत्तर - जंगल केदारन, जंगल खगना दक्षिण- महाल बदलावग चिवना पूर्व - महाल कोट पश्चिम- शिला बदलावग

परिक्षेत्र: कुमारसैन

वन मण्डल: कोटगढ़

तहसील : कुमारसैन

जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
5.	38/1993	शिला रोपा	भूणा कांगल	382/1, 489/1, 504/1, 505/1, 505/6, 127/1 कित्ता. . 6	23-52-70	उत्तर — भूणा दक्षिण — कांगल पूर्व — जजैली, चजोल पश्चिम — भूणा

परिक्षेत्र: ननखड़ी

वन मण्डल: रामपुर

तहसील/उप-तहसील : ननखड़ी

जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल/उप-महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
6.	56/1993	सिराधार	उप-महाल पंगरोटी	2/1	14-71-06	उत्तर — शून्य दक्षिण — शून्य पूर्व — डी0पी0एफ0 बनाला पश्चिम — वांडा
7.	58/1993	पनेहल	पनेहल	1013/1, 1136/1, 1214, 1216/1, 1983/1, 2034/1, 2059/1, 2061, 2063/1 कित्ता. . 9	37-12-34	उत्तर — महाल पनेहल दक्षिण — महाल कलयोग पूर्व — महाल नागाधार, टुटू पश्चिम — महाल पनेहल

परिक्षेत्र: डोडराक्वार

वन मण्डल: रोहडू

तहसील : डोडराक्वार

जिला: शिमला

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	महाल का नाम	खसरा नम्बर	हैक्टेयर में क्षेत्रफल	मुख्य सीमाएं
8.	71/2003	जवानगढ़	भराड़ासरधार	22/1, 23/1 कित्ता. . 2	507-84-56	उत्तर — महाल भराड़ासरधार दक्षिण — जिला उत्तरकाशी पूर्व — महाल भराड़ासरधार पश्चिम — महाल भराड़ासरधार

आदेश द्वारा,
आर. डी. धीमान,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-2/2021, dated 17th April, 2021 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th April, 2021

No. FFE-B-F(14)-2/2021.—WHEREAS, the nature and extent of the rights of the Government and of the private persons in or over the forest land or waste land specified in the SCHEDULE appended to this notification have been enquired into and recorded, as required under sub-section (3) of Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

AND WHEREAS, the forest land or waste land shown in the said SCHEDULE is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the forest produce therein;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the said Act shall apply to the said forest land or waste land and shall hereafter be called as “protected forests” under the provisions of sub-section (2) of Section 29 of the Act *ibid*.

SCHEDULE

Range: THAROCH Division: CHOPAL Tehsil/ Sub-Tehsil: NERWA District: SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
1.	1/2001	Tikker	Madhana	106/1, 151/1, 184/1, 195/1, 197, 213/1, 302/1, 309/1, 318/1, 321/1, 512/1 Kitta .11	38-38-43	North-Muhal Madhana South- Muhal Madhana East- DPF Thanal West- Muhal Madhana
2.	3/2002	Shadaach	Shadaach	72/1, 140/1, 140/1/1, 242/1, 290/1, 292/1, 298/1, 368/1, 411/1, 419/1, 441/1, 443/1, 444/1, 445/1/1, 450, 460/1, 461 Kitta .17	138-71-16	North- Forest Shadaach South- Up Muhal Bharman, Muhal Kutaah & Forest Nagar East- Forest Gutar West- Boundary Muhal Kutaah
3.	7/2001	Mundali	Mundali	849/1, 850/1, 851/1, 852/1 Kitta . 4	11-65-20	North – DPF Shilla-2 South- Nil East- Navi West- Muhal Tiprog

Range: SARANH Division: CHOPAL Tehsil: CHOPAL District: SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
4.	1/2010	Badlawag-I	Chivna Badlawag	1, 2, 3/2, 135/1, 563 Kitta . 5	28-18-19	North- Forest Kedaran, Forest Khagana South- Muhal Badlawag Chivana East- Muhal Kot West- Shila Badlawag

Range: KUMARSAIN Division: KOTGARH Tehsil : KUMARSAIN District: SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
5.	38/1993	Shilla Ropa	Bhuna Kangal	382/1, 489/1, 504/1, 505/1, 505/6, 127/1 Kitta . 6	23-52-70	North - Bhuna South - Kangal East - Jajaili, Chajol West - Bhuna

Range: NANKHARI Division: RAMPUR Tehsil/ Sub-Tehsil: NANKHARI District: SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
6.	56/1993	Siradhar	Up-Muhal Pangroti	2/1	14-71-06	North - Nil South - Nil East - DPF Banala West - Wanda
7 .	58/1993	Panehal	Panehal	1013/1, 1136/1, 1214, 1216/1, 1983/1, 2034/1, 2059/1, 2061, 2063/1 Kitta . 9	37-12-34	North - Muhal Panehal South - Muhal Kalyog East - Muhal Nagadhar, Tutu West- Muhal Panehal

Range: DODRAKWAR Division: ROHRU Tehsil: DODRAKWAR District: SHIMLA

Sl. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal/Up-Muhal	Khasra number (s)	Area in hectare (s)	Cardinal Boundaries
8.	71/2003	Jawangarh	Bharadasardhar	22/1, 23/1 Kitta . 2	507-84-56	North - Muhal Bharadasardhar South - District Uttarkashi East - Muhal Bharadasardhar West - Muhal Bharadasardhar

By order,
R. D. DHIMAN,
Additional Chief Secretary (Forests).

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd April, 2021

No. GAD-B(A)1-9/2018-I.—In continuation to this department notification of even No. dated 1-02-2021 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify that administrative boundaries of all the Districts, Sub-Divisions, Tehsils, Sub-Tehsils, Blocks, Villages, Towns, Wards etc. shall now stand frozen with effect from 1st July, 2021 instead of 1st April, 2021 in view of prevailing conditions due to COVID-19, till Census is over.

By order,

ANIL KUMAR KHACHI,
Chief Secretary.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 22nd April, 2021

No. UD-F(4)-2/2020.—The words & figures appearing in sub-heading (e) of serial No. 6 of the Annexure-‘A’ attached to this department Notification of even no. dated 19-04-2021 *may be read as “@ Rs. 75” per day instead of “Rs. 100 per day”* as per Annexure-‘A’ attached.

By order,
Sd/-

Principal Secretary (UD).

ANNEXURE-A

MUKHYA MANTRI SHAHRI AJEEVIKA GUARANTEE YOJNA
(MMSAGY)

1. Objective:

The objective of the Scheme is to enhance livelihood security in urban areas by providing 120 days of guaranteed wage employment to every household in a financial year.

2. Goals:

- (a) To ensure livelihood security to urban households by providing a guaranteed employment for 120 days.

- (b) To facilitate skill enhancement of persons engaged in waged labour jobs to provide them better livelihood opportunities and to set up their own enterprises by imparting entrepreneurship trainings as well as subsidy linked credit linkages.
- (c) To strengthen urban infrastructure and provisioning of quality civic amenities in the Urban Local Bodies (ULBs).

3. Eligibility :

- (a) All adult members of the household who register under this scheme will be eligible to work. To register they have to be:
 - (i) local resident of the ULB (meaning thereby they should be residing within the jurisdiction of the ULB either in their own house or on rent).
 - (ii) Willing to do unskilled work at projects being executed or in Sanitation Services being provided by the Urban Local Bodies.
- (b) Household will comprise of husband, wife and their minor children. However, only adult members of household shall be eligible to work.
- (c) The upper age limit for providing work shall be 65 years.

4. Components:

- (a) *Guaranteed Employment.*—It will aim to provide guaranteed 120 days employment to eligible beneficiaries in urban local bodies to ensure livelihood security. The ULBs shall not employ an eligible beneficiary for more than 120 days in any financial year.
- (b) *Maximum Period for Employment.*—The maximum period for which employment will be provided to a household shall be 120 days.
- (c) *Skill Training.*—The eligible beneficiaries under this scheme will also be provided skill training under Deen Dyal Antodaya–National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM), to create further opportunities for better livelihood.
- (d) *Bank Linkage.*—The eligible beneficiary so skilled under this scheme will be facilitated to apply for loans under DAY-NULM.

5. Coverage and Duration:

The scheme will be implemented in all the Urban Local Bodies (ULBs) and Cantonment Boards (CBs) in Himachal Pradesh. The scheme shall initially be operational till 31-03-2022.

6. Application Procedure:

- (a) Any eligible beneficiary may apply to get registered with the ULB as per **Annexure-B**. Application can also be filled online at portal specified for the purpose.
- (b) All eligible beneficiaries of a household will be registered through a single application only. No separate applications are required.
- (c) The ULBs after due verification will issue a Job Card free of cost as per **Annexure-C**. The Job Card will bear the photographs of the registered beneficiaries.

- (d) The Job Card will be issued within 7 days of registration.
- (e) Employment will be given to the eligible beneficiary within 15 days of registration, failing which an unemployment allowance @ Rs. 75 per day will be paid by the ULBs.
- (f) All accounts and records relating to the MMSAGY shall be available for public scrutiny for which these shall be uploaded on the website of the ULB and the Directorate of Urban Development.

7. Permissible Activities:

- (a) All eligible beneficiaries will be employed in the following permissible activities in ULBs:
 - i. In any ongoing or new admissible work under any Govt. of HP/ Govt. of India scheme for which funds are available with ULB.
 - ii. In any admissible work under 15th Finance Commission or 5th State Finance Commission for which grant-in-aid provided to the ULBs.
 - iii. Sanitation Works/Services as admissible under Solid Waste Management Rules, 2016 and Swach Bharat Mission.
- (b) The ULBs shall not start any muster-roll linked work / activity under this scheme and shall get eligible beneficiary employed only in the works specified as per 7 (a) above.
- (c) The ULBs shall make enabling provision in all new contracts to be awarded for engaging eligible beneficiaries under MMSAGY as unskilled workers by the implementing agency. For the works already awarded, the ULBs will coordinate with implementing agency to whom the work has been awarded for engaging the registered eligible beneficiaries under MMSAGY.

8. Payment of Wages:

- (a) Eligible beneficiary under the scheme will be entitled to minimum wage notified by the State Government.
- (b) Equal wages are to be paid to both male and female workers.
- (c) Wages will be directly deposited in the bank account of eligible beneficiaries by the ULBs on fortnightly basis not later than 7 days after completion of 15 days employment.
- (d) The payment of wages as prescribed supra will be made after due verification of the attendance by the Junior Engineer or any other officer / official authorized by the ULB.
- (e) The payment made above will be adjusted / deducted from the bills of the implementing agency before making its payment.

9. Skill training under DAY-NULM:

The eligible beneficiary will be provided skill training with entitlement to minimum wage as notified by the government up to a maximum of four weeks only after doing wage employment of 30 days under MMSAGY.

10. Bank Linkage:

The eligible beneficiary provided skill training above, willing to start their own Enterprise will be linked to the banks under Self Employment Programme (SEP) of DAY-NULM.

11. Power to review:

The State Govt. may review and amend these guidelines at any time for its smooth implementation in the ULBs.

ANNEXURE-"B"

MUKHYA MANTRI SHAHRI AJEEVIKA GUARANTEE YOJNA (MMSAGY)**Application Form**

1.	Name of Applicant					
2.	Father's Name					
3.	Correspondence Address					
4.	Permanent Address					
5.	Mobile No.					
6.	Aadhar Number					
7.	Bank Details:					
	(i) Name of Bank					
	(ii) Bank account number					
	(iii) IFSC No.					
8.	Name of other members of the applicant/ household* [*Please see clause 3(b)]					
	Sl. No.	Name	Age	Aadhar Number	Bank Account No. & IFSC	Bank Name
9.	Date of submission of application					
10.	Any other Skills					
11.	Date from which applicant is available for work					

Signature of Applicant.

Signature with official seal.

PART -1

MUKHYA MANTRI SHAHRI AJEEVIKA GUARANTEE YOJNA (MMSAGY)

JOB CARD

HOUSEHOLD REGISTRATION NO.

STATE CODE	DISTRICT CODE	ULB CODE	WARD CODE	MONTH	YEAR	JOB CARD NUMBER

DATE OF REGISTRTION	VALIDITY

ATTESTED PHOTOS OF JOB CARD HOLDERS

Signature of Applicant/
Thumb impression

Signature of Registration Officer.

PART-II

MUKHYA MANTRI SHAHRI AJEEVIKA GUARANTEE YOJNA
(MMSAGY)

1. NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:

NAME		ADDRESS
First		
Middle		
Last		

2. CATEGORY:

General	Scheduled caste	Scheduled Tribe	OBC	Minority		

3. LINKAGES WITH OTHER SCHEMES (If any):

PMAY	
DAY-NULM	
SBM	

4. FAMILY DETAILS INCLUDING APPLICANT:

Sl. No.	Name	Father/Husband Name	Male/Female	Age	Aadhar No

5. BANK ACCOUNT DETAIL:

JOB CARD NO.	ACCOUNT NO.	BANK NAME AND ADDRESS	IFSC

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि० प्र०)

श्री नानक चन्द पुत्र मुसदी, निवासी गांव खलोह, परगना जून्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि० प्र०) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री नानक चन्द पुत्र मुसदी, निवासी गांव खलोह, परगना जून्ड, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि० प्र०) ने निवेदन किया है प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत भजौत्रा के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में नानक चन्द दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल खलोह के भू-इन्द्राज में नानकू दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल खलोह के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपना नाम नानकू के बजाये नानक चन्द दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई,
जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव बग्गी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव बग्गी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है प्रार्थी के पिता का नाम ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में प्रीतम चन्द दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल बग्गी व चमोह के भू-इन्द्राज में प्रितिया दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। इसलिए महाल बग्गी व चमोह के भू-राजस्व अभिलेख में आवेदक अपने पिता का नाम अपना नाम प्रितिया उर्फ प्रीतम चन्द दुरुस्त दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दुरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें अन्यथा प्रार्थी का नाम दुरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समागत न होगा।

आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री पूर्ण चन्द, निवासी गांव डगोह, डाकघर तुनुहट्टी, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र श्री अंकित की जन्म तिथि 24-05-2017 है, जोकि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र श्री अंकित की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तुनुहट्टी के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 07-05-2021 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
ज्ञान चन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ककीरा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Monu Kumar s/o Sh. Amro Ram aged 34 years, resident of Village Ludera, P.O. Barour, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bridegroom/Husband).

and

Babli d/o Sh. Bal Bahadur aged 42 years, resident of Village Dharwala, P.O. Choori, Sub-Tehsil Dharwala, District Chamba (H. P.) (Bride/Wife) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under Section 15 of Special marriage Act, 1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as ammended by the Marriage Laws (Amendment Act, 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 01-07-2014 at their place of residence and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now, therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 06-05-2021 after that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this day of 06th day of April, 2021.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH, IAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Chamba, District Chamba (H. P.)

Karan Kumar s/o Sh. Raj Kumar aged 22 years, resident of Mohalla Sultanpur, P.O. Sultanpur, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bridegroom/Husband).

and

Seema Kumari d/o Sh. Jindu aged 22 years, V.P.O. Barour, Tehsil & District Chamba (H. P.) (Bride/wife) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.— Registration of Marriage under Section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 (Act No. 21 of 1997).

Whereas, the above named applicants have made an application before me under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith relevant records and affidavits stating therein that they have solemnized their marriage on dated 12-03-2018 at their place of residence with prevailing rites and customs but due to some un-avoidable circumstances it could not be entered in the records of Municipal Council Chamba, Distt. Chamba, H.P.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws for the registration of marriage with the registrar of marriage and now, therefore, necessary order for the registration of their marriage be passed, so that their marriage could be registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding the registration of marriage of above named applicants, they should appear before the undersigned in my court on or before 07-05-2021 at 2.00 P.M. either personally or through their authorised agent/pleader.

In the event of their failure to do so, orders shall be passed *ex-parte* for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the Court on this 6th day of April, 2021.

Seal.

SHIVAM PRATAP SINGH, IAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

गणेश कुमार पुत्र वीर सिंह, निवासी महाल बसलाहड, डाकघर रेल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

उनवान मुकद्दमा.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम कागजात माल महाल बसलाहड, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

गणेश कुमार पुत्र वीर सिंह, निवासी महाल बसलाहड, डाकघर रेल, तहसील डाडा सीबा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना—पत्र दिया है कि उसका सही नाम स्कूल रिकार्ड, पेन कार्ड व आधार कार्ड में गणेश कुमार पुत्र वीर सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल बसलाहड में उसका नाम गणेश दत्त पुत्र वीर सिंह पुत्र किहरो राम दर्ज है जो सही न है प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित आवें। गैरहाजिरी की सूरत में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जायेंगे। बाद मियाद तारीख पेशी कोई उजर/एतराज काबिले गौर न होगा।

आज दिनांक 08-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
डाडा सीबा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री मदन लाल, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मिसल नं0 : 378/तह0/2021

तारीख पेशी : 30-04-2021

तरवीज कुमार बगैरा

बनाम

आम जनता।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

प्रार्थीगण श्री तरवीज कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व अंजली कुमारी पुत्री श्री मोहन लाल, निवासी गांव फतेहपुर, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब) ता हाल पत्नी तरवीज कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगणों की शादी 28-02-2020 को गांव व डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुई है। लेकिन अज्ञानतावश उक्त प्रार्थीगण ने अपने विवाह को ग्राम पंचायत ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के अभिलेख में या अन्य स्थान पर पंजीकृत न करवाया हुआ है। प्रार्थीगण अपने विवाह की तिथि को पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः उक्त विवाह को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इशतहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थीगण श्री तरवीज कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व अंजली कुमारी पुत्री श्री मोहन लाल, निवासी गांव फतेहपुर, तहसील मुकेरियां, जिला होशियारपुर (पंजाब) ता हाल पत्नी तरवीज कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, निवासी गांव व डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के विवाह को दर्ज करवाने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 30-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज दे। कोई एतराज न होने की सूरत में विवाह को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 07-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 28-04-2021

धर्म चन्द पुत्र सीता राम, निवासी गांव व डाकघर ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकि 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती मथरी पत्नी सीता राम का देहान्त दिनांक 25-10-1989 को महाल ठारू में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत ठारू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-04-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 16-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि

पेशी : 28-04-2021

सुरिन्द्र कुमार पुत्र श्री कल्याण चन्द, निवासी गांव बैटलू, डाकघर बण्डी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनर्वालोकित 1969 के तहत जन्म प्रमाण-पत्र लेने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसके बेटे विवेक कुमार पुत्र श्री सुरिन्द्र कुमार का जन्म दिनांक 14-01-2017 को गांव कुठमां में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ है। प्रार्थी उक्त जन्म तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठमां के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-04-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 18-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

तकसीम भूमि :

तारीख पेशी : 10-05-2021

राजिन्द्र पुत्र श्री धर्मू निवासी गांव व डाकघर ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

1. चतरो राम पुत्र, 2. महिन्द्र लाल पुत्र, 3. संजीव कुमार पुत्र, 4. इन्द्रा देवी पुत्री, 5. अहल्या देवी पत्नी स्व0 श्री धर्मू, 6. जागो राम पुत्र, 7. कहणू राम पुत्र, 8. सुरेश कुमार पुत्र, 9. चीनो देवी पुत्री, 10. सुकनीया देवी पुत्री महाजन, 11. उधो राम पुत्र श्री गोविन्दू सभी निवासी गांव व डाकघर ठारू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

उपरोक्त वादी ने भूमि खाता नं0 64, खतौनी नं0 195, खसरा नं0 कित्ता-3, रकबा तादादी 00-63-03 है0 वाक्या महाल ठारू, मौजा डुढम्ब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2014-15.

उपरोक्त विषय के सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु हर बार समन बिना तामील के वापिस प्राप्त हुए हैं। इसलिए अदालत हजा को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती, साथ ही प्रार्थी उनका सही पता पेश करने में असमर्थ है।

अतः इस इशतहार द्वारा प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 10-05-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 28-04-2021

किशोरी लाल पुत्र श्री नानकू, निवासी महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

1. निखिल कुमार पुत्र, 2. मधु बाला, 3. रीमा देवी, 4. सीमा देवी पुत्री, 5. रंजना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, 6. धर्म चन्द पुत्र नानकू, 7. छज्जू पुत्र डिविया उर्फ खजाना, 8. चतरो पुत्र चमारू, 9. मलिका पत्नी स्व0 श्री सालो, निवासी महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—इश्तहार समाचार-पत्र/राजपत्र हि0प्र0 बाबत प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 72, खतौनी नं0 126, ता 132, खसरा कित्ता-47, रकबा तादादी 00-78-76 है0 वाक्या महाल भैरू, मौजा नेरटी, भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 133, खसरा नं0 51, रकबा तादादी 00-03-58 है0 महाल ठिरड़ी व भूमि खाता नं0 103, खतौनी नं0 154, ता 156, खसरा कित्ता-11, रकबा तादादी 00-36-20 है0 महाल ठिरड़ी मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु उन प्रतिवादी को सामान्य तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है न ही उनका सही पता मालूम हो पा रहा है। अतः अब इश्तहार समाचार-पत्र के माध्यम से एक बार पुनः प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस वादग्रस्त भूमि की तकसीम दोनों खाताजात को इकट्ठा करके करने बारे यदि उन्हें कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-04-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 27-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 28-04-2021

किशोरी लाल पुत्र श्री नानकू, निवासी महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

1. निखिल कुमार पुत्र, 2. मधु बाला, 3. रीमा देवी, 4. सीमा देवी पुत्रियां, 5. रंजना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, 6. धर्म चन्द पुत्र नानकू, निवासी महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—इश्तहार समाचार-पत्र/राजपत्र हि0प्र0 बाबत प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 68, खतौनी नं0 120, ता 121, खसरा कित्ता-15, रकबा तादादी 00-90-29 है0 वाक्या महाल भैरू व मौजा नेरटी, भूमि खाता नं0 235, खतौनी नं0 378, खसरा कित्ता 5, रकबा तादादी 00-63-18 है0 महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु उन प्रतिवादी को सामान्य तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है न ही उनका सही पता मालूम हो पा रहा है। अतः अब इश्तहार समाचार-पत्र के माध्यम से एक बार पुनः प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस वादग्रस्त भूमि की तकसीम दोनों खाताजात को इकट्ठा करके

करने बारे यदि उन्हें कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-04-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 27-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा तकसीम भूमि

तारीख पेशी : 28-04-2021

किशोरी लाल पुत्र श्री नानकू, निवासी महाल भैरू, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादी।

बनाम

1. धर्म चन्द पुत्र नानकू, 2. निखिल कुमार पुत्र, 3. मधु बाला, 4. रीमा देवी, 5. सीमा देवी पुत्रियां, 5. रंजना देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी महाल ठिरड़ी, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रतिवादीगण।

विषय.—इश्तहार समाचार—पत्र/राजपत्र हि0प्र0 बाबत प्रार्थना—पत्र बाबत तकसीम भूमि जेर धारा 123 हि0प्र0 राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत तकसीम भूमि खाता नं0 95, खतौनी नं0 146, खसरा कित्ता—5, रकबा तादादी 00—53—87 है0 महाल ठिरड़ी, मौजा नेरटी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त में से कुछ प्रतिवादीगण को बार-बार समन जारी किए गए परन्तु उन प्रतिवादी को सामान्य तरीके से समन की तामील नहीं हो पा रही है न ही उनका सही पता मालूम हो पा रहा है। अतः अब इश्तहार समाचार—पत्र के माध्यम से एक बार पुनः प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि इस वादग्रस्त भूमि की तकसीम दोनों खाताजात को इकटठा करके करने बारे यदि उन्हें कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 28-04-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकते हैं। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 27-03-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

पेशी : 07-05-2021

राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव क्यारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.—दुरुस्ती नाम हि0 प्र0 रा0 अधिनियम, 1954 की जेर धारा 37 के तहत महाल क्यारी व झुलाड़ में नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसका सही नाम राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल है जबकि महाल क्यारी व झुलाड़ के राजस्व अभिलेख में उसका नाम रंजय कुमार पुत्र किशोरी लाल पुत्र साली दर्ज है जो कि गलत इन्द्राज हुआ है। प्रार्थी उक्त नाम को दुरुस्त करके रंजय कुमार उपनाम राजीब कुमार पुत्र किशोरी लाल पुत्र साली दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र के सन्दर्भ में उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 07-05-2021 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 06-04-2021 को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार दरीणी, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 02/2021

तारीख दायरा : 02-03-2021

तारीख पेशी : 28-04-2021

कृष्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री सूरमा राम, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) पंजीकरण अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, 2. पंचायत सचिव एवं उप-पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, 3. आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने जन्म तिथि 08-01-1989 पंजीकृत करने बारे नंदन कुमार पुत्र कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा राम, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

सायल कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा, गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में दरखास्त गुजारी व प्रार्थना की है कि मेरे बेटे नंदन कुमार का जन्म 08-01-1989 को गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत कुठारना के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया व प्रार्थना की कि जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में कर दिया जाए।

लिहाजा इस नोटिस/इशतहार द्वारा **प्रतिवादीगण** को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को नंदन कुमार पुत्र कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि 08-01-1989 के पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह मिति 28-04-2021 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है दीगर कोई उजर काबिले समायत न होगा व दरखास्त का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 2-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
दरीणी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार दरीणी, जिला कांगड़ा
(हि0 प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 03/2021

तारीख दायरा : 02-03-2021

तारीख पेशी : 28-04-2021

कृष्ण चन्द पुत्र स्व0 श्री सूरमा राम, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश प्राथी।

बनाम

मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला पंजीयक (जन्म एवं मृत्यु) पंजीकरण अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, 2. पंचायत सचिव एवं उप-पंजीयक जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ग्राम पंचायत कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, 3. आम जनता प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बराये दर्ज करने (जन्म तिथि 20-02-1986 पंजीकृत करने बारे) श्रीमती सुषमा देवी पुत्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा राम, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

सायल कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा, गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने अदालत हजा में दरखास्त गुजारी व प्रार्थना की है कि मेरी बेटी सुषमा देवी का जन्म 20-02-1986 को गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत कुठारना के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया व प्रार्थना की कि जन्म तिथि का पंजीकरण सम्बन्धित पंचायत अभिलेख में कर दिया जाए।

लिहाजा इस नोटिस/इशतहार द्वारा **प्रतिवादीगण** को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को सुषमा देवी पुत्री कृष्ण चन्द पुत्र श्री सूरमा, निवासी गांव कुठारना, डाकघर चमियारा, उप-तहसील दरीणी, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि 20-02-1986 के पंजीकरण किये जाने के सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह

मिति 28-04-2021 को असातन या वकालतन सुबह 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना उजर प्रस्तुत कर सकता है दीगर कोई उजर काबिले समायत न होगा व दरखास्त का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 2-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
दरीणी, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan (H.P.) exercising
the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954**

Case No. : / 2021

Date of Instt. : 23-03-2021

Pending for :

Notice u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of marriage.

Notice to the General Public.

Whereas, Shri Gurmukh Singh s/o Shri Baldev Singh, r/o Village & P.O. Sarsa Nangal, Tehsil & District Ropar (Pb.) at present Address c/o Ujjagar Singh, V.P.O. Reru, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Navneet Kaur d/o Sh. Jaswinder Singh, r/o Village & P.O. Bharatgarh, Tehsil & District Ropar (Pb.) presently w/o Sh. Gurmukh Singh s/o Shri Baldev Singh, at present Address c/o Ujjagar Singh, V.P.O. Reru, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 20-07-2020.

And, whereas, both these applicants have submitted in their applications and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 23-04-2021 for hearing of objections, if any. In case no objection is received by dated 23-04-2021, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the court on 23-03-2021.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-SDM,
Nalagarh, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, H. P.**

In the matter of :

Sh. Vijay Kumar s/o Shri Raj Kumar Bhandari, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan,
Himachal Pradesh . . Applicant

Versus

General Public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Vijay Kumar s/o Shri Raj Kumar Bhandari, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of his date of birth i.e. 11-07-1996 at Village Ghatti, Tehsil & District Solan, but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Dangri.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Vijay Kumar s/o Shri Raj Kumar Bhandari, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 07-05-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 08 th day of April, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan, H. P.

**In the Court of Shri Gurmit G. Negi, Executive Magistrate (Tehsildar) Solan,
District Solan, H. P.**

In the matter of :

Sh. Man Singh s/o Shri Raj Kumar, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh . . Applicant

Versus

General Public . . Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Sh. Man Singh s/o Shri Raj Kumar, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death

Registration Act, 1969 alongwith affidavit and other documents for entering of his date of birth *i.e.* 23-01-1992 at Village Ghatti, Tehsil & District Solan, but his date of birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Dangri.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Man Singh s/o Shri Raj Kumar, r/o V.P.O. Ghatti, Tehsil & District Solan may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 07-05-2021 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 08 th day of April, 2021.

Seal.

GURMIT G. NEGI,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Solan, District Solan, H. P.*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री अनुराग पुत्र श्री सुखदेव सिंह, वासी गांव चक, डाकघर ठठल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—शादी पंजीकरण प्रमाण—पत्र जारी करने बारे।

श्री अनुराग पुत्र श्री सुखदेव सिंह, वासी गांव चक, डाकघर ठठल, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने एक दरखास्त प्रस्तुत की है जिसमें उसने लिखा है कि उसकी शादी श्रीमती कशिश पुत्री श्री बहादुर सिंह, वासी गांव शावट, डाकघर विरगड़, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला में दिनांक 02-09-2018 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई है का पंजीकरण किया जाकर उसे शादी प्रमाण—पत्र दिया जावे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को शादी पंजीकरण बारे कोई एतराज/आपत्ति हो तो वह दिनांक 23-04-2021 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपनी स्थिति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। निश्चित तिथि पर कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी को शादी पंजीकरण का प्रमाण—पत्र जारी कर दिया जायेगा। अतः बाद में कोई उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-03-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री राजन शर्मा, नायब तहसीलदार, भूव्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री ओम प्रकाश

बनाम

आम जनता

इशतहार मुश्री व मुनादी जेर धारा-23 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953

श्री ओम प्रकाश आदि पुत्र परमानन्द पुत्र गोपाला जात ब्राह्मण, गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराये तकसीम आराजी खेवट, नं0 25/1, खतौनी नं0 27/1, खसरा नं0 375, रकबा तादादी 122-8, कनाल मुताबिक जमाबन्दी साल 1984-85, गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना दायर किया है कि जिसमें प्रतिवादीगण नं0 2. श्रीमती आशा देवी, 3. श्रीमती निर्मला देवी पुत्रियां परमानन्द व प्रतिवादी नं0 4. के वारसान श्रीमती किरन देवी, लता देवी पुत्री व नरेश कुमार पुत्र श्रीमती तारो देवी पुत्री परमानन्द (छायाप्रति प्रार्थना-पत्र संलग्न) निवासी गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना को बार-बार समन जारी करने उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्री, मुनादी व चस्पांगी समन द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस मुश्री व मुनादी के जारी होने से दिनांक 05-05-2021 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

**ब अदालत श्री राजन शर्मा, नायब तहसीलदार, भूव्यवस्था एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0प्र0)**

श्री ओम प्रकाश

बनाम

आम जनता

इशतहार मुश्री व मुनादी जेर धारा-23 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1953

श्री ओम प्रकाश आदि पुत्र परमानन्द पुत्र गोपाला जात ब्राह्मण, गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र बराये तकसीम आराजी खेवट, नं0 25, खतौनी नं0 27, खसरा नं0 376, रकबा तादादी 21-13, कनाल मुताबिक जमाबन्दी साल 1984-85, गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना दायर किया है कि जिसमें प्रतिवादीगण नं0 2. श्रीमती आशा देवी, 3. श्रीमती निर्मला देवी पुत्रियां परमानन्द व प्रतिवादी नं0 4. के वारसान श्रीमती किरन देवी, लता देवी पुत्री व नरेश कुमार पुत्र श्रीमती तारो देवी पुत्री परमानन्द (छायाप्रति प्रार्थना-पत्र संलग्न) निवासी गांव स्कोहण, तहसील बंगाणा, जिला ऊना को बार-बार समन जारी करने उपरान्त भी हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं इसलिए प्रतिवादीगण को बजरिया मुश्री, मुनादी व चस्पांगी समन द्वारा सूचित किया जाता है कि आप इस मुश्री व मुनादी के जारी होने से दिनांक 05-05-2021 तक असालतन या वकालतन इस अदालत में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-04-2021 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त व जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Resham Singh s/o Gurmej Singh, r/o Village Barera, P.O. Dathwara, Tehsil/District Una, (H.P.) declare that I have changed my name from Resham Singh to Resham Singh Heer. Concerned may note.

Resham Singh Heer, s/o Gurmej Singh,
r/o Village Barera, P.O. Dathwara,
Tehsil/District Una, (H.P.).